

ORDER SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Case No. 96/17
Order on Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties of pleaders where Necessary

आज आरक्षी केन्द्र गोधरा के उपनिरीक्षक/सहायक
उपनिरीक्षक/प्रधान आरक्षक/आरक्षक दोबारा/15/12
को 1123 द्वारा शान्त पगारी की ओर से अपराध
को 50/17 अंतर्गत धारा 13 (घ) Act
गांठोंसं० अधिनियम के अधीन दण्डनीय
अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री प्रवीण दिव्या (उप०)

अभियुक्त/अभियुक्तगण वसंत गुला, मुल्तेरा, राय
निवासी/निवासीगण माली याद री० गे०

थाना गोहर जिला मिर्जापुर राज्य म०
उपरिथत। अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
श्री द्वारा पेशावरण्डग/वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार गांठोंसं०/ अधिनियम के अधीन कायंवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द० प्र० सं० के अधीन संज्ञान विषय आदेश का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पत्रों में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण द० प्र० सं० के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं परिवाद पत्र निशुल्क दिलाए जायेंगे।

वृत्ति के अनुसार सामान्य प्रकरण में अभियुक्त/अभियुक्तगण को और से 7500/- (रु०) के अंश में निशुल्क दिलाया जायेगा।

दिनांक

अंतिम प्रतिवेदन
FINAL REPORT
(द.प्र.सं. की धारा-173)
Under Section

1. विद्यालय विभाग को उपस्थापित हो गया है ।

विभाग को अर्जुन प्रतिवेदन है ।

2. जिला (चारशायी) अर्जुन प्रतिवेदन है ।

3. विद्यालय (चारशायी) अर्जुन प्रतिवेदन है ।

4. विद्यालय (चारशायी) अर्जुन प्रतिवेदन है ।

1
अरुण उपा
मुकेश
वि. २. वि.
२१ म

जप्तसुदा संपत्ति २०५०/- रूपये राजसात
 विनये जायें। रांपत्ति ताशकी २०५०/- मूल्यहीन होने से नष्ट कर
 व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
 को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
 जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
 आदेशों का पालन हो।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class
Gohad Dist. Bhind (M.P)

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि
 100, 100, 100, 100 रुपये अदा की जिसकी पावती बुक
 क्र० 6902 रसीद क्र० 37 से पट्टी गई।
 अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगतवाई गई।

A. K. Gupta
Judicial Magistrate Class
Gandhinagar